कार्यवाही विवरण

मेसर्स शिवम हाईटेक स्टील प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 4, 4बी, 4डी, 3ई, 4डी, एवं 31, लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया, हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में Installation of new facility to produce 10200 TPA LC/MC Ferro Alloys by ATP & 600 TPA Vanadium Pentaoxide by Beneficiation process & enhancement of existing Scrap Melting facility by IF to produce FeTi/FeAl/FesiMn from 3600 TPA to 7200 TPA Cored wire from 5000 TPA to 17000 TPA, new facilities to produce 18000 TPA metallic mineral ore Briquettes, 24000 TPA Aluminium wire, Ingots etc. & existing 1440000 Liters/Year Industrial & Decorative Paint unit के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 04.09.2025 को समय दोपहर 12:00 बजे, स्थान–सीएसआईडीसी, कमर्शियल जोन, इंजीनियरिंग पार्क, हथखोज–भिलाई, तहसील–भिलाई–03, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत मेसर्स शिवम हाईटेक स्टील प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 4, 4बी, 4डी, 3ई, 4डी, एवं 31, लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया, हथखोज भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में Installation of new facility to produce 10200 TPA LC/MC Ferro Alloys by ATP & 600 TPA Vanadium Pentaoxide by Beneficiation process & enhancement of existing Scrap Melting facility by IF to produce FeTi/FeAl/FesiMn from 3600 TPA to 7200 TPA Cored wire from 5000 TPA to 17000 TPA, new facilities to produce 18000 TPA metallic mineral ore Briquettes, 24000 TPA Aluminium wire, Ingots etc. & existing 1440000 Liters/Year Industrial & Decorative Paint unit के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु परियोजना प्रस्तावक के आवेदन के परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय समाचार पत्र द पायोनियर, नई दिल्ली दिनांक 02/08/2025 एवं दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में दिनांक 02/08/2025 को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित कराई गई थी। तदानुसार लोक सुनवाई दिनांक 04/09/2025 को समय दोपहर 12.00 बजे, स्थान–सीएसआईडीसी, कमर्शियल जोन, इंजीनियरिंग पार्क, हथखोज–भिलाई, तहसील–भिलाई–03, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय अधिकारी, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़, कलेक्टर कार्यालय कलेक्टर, दुर्ग, जिला–दुर्ग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग, जिला–दुर्ग, आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई, जिला–दुर्ग, मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं

उद्योग केन्द्र, दुर्ग, जिला–दुर्ग, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला, भिलाई, जिला–दुर्ग एवं मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन, सेक्टर–19 नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कार्यालयीन समय में मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में 02 आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां प्राप्त हुई है।

उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 04/09/2025 को समय दोपहर 12:07 बजे अपर कलेक्टर, जिला–दुर्ग की अध्यक्षता में स्थान–सीएसआईडीसी, कमर्शियल जोन, इंजीनियरिंग पार्क, हथखोज–भिलाई, तहसील–भिलाई–03, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में लोकसुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम अपर कलेक्टर, जिला दुर्ग द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तदोपरांत क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रकिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री केतन गुलाटी, संचालक मेसर्स शिवम हाईटेक एवं श्री अमन वर्मा, पर्यावरण सलाहकार, वरदान इनवायरोटेक, एलएलपी, गुड़गांव द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को लोक सुनवाई संबंधी विषय पर अपने, आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने उक्त परियोजना के संबंध में अपना आपत्ति, सुझाव, विचार एवं, टीका–टीप्पणियां दर्ज कराया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री धीरज कुमार, लक्ष्मण नगर, छावनी, भिलाई, जिला–दुर्ग।**

➢ **खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र में विकास हो रहा है यह हमारे गर्व की बात है। लेकिन इस विकास से स्थानीय लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। मैं यह जानना चाहूंगा कि स्थानीय लोगों के लिये रेाजगार की क्या व्यवस्था है ? पर्यावरण के लिये क्या व्यवस्था की जायेगी ? सड़कों पर वाहन खड़े हो जाने होने वाले समस्या के लिये क्या व्यवस्था की जायेगी उसकी जानकारी दे।**

2. श्री अजय बंछोर, हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग।

➢ प्लांट खुल रहा है तो काम मिलेगा या नही ? आसपास के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए।

3. श्री प्रकाश दास मानिकपुरी, खुर्सीपार, भिलाई, जिला–दुर्ग।

➢ संचालकों से पूछना चाहूंगा कि लोगों को काम में रखकर 6 माह में निकाल देंगे या स्थायी रूप से रखा जायेगा ? प्रदूषण की समस्या नही होनी चाहिए तभी मैं अपना समर्थन देता हूं।

4. श्री पहाड़राम साहू, इंद्रानगर, हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग।

➢ हथखोज में इण्डस्ट्री लगे लेकिन इसके साथ साथ हमारे गांव में प्राईमरी, मीडिल, हाईस्कूल में श्रमिक बस्ती के बच्चे पढ़ते हैं मेरा निवेदन है कि उद्योग प्रबंधन उद्योग में कुछ विकास कार्य मरम्मत कार्य कर दे। हम अपनी पर्यावरण को जितना अच्छा बनाकर रखेंगे उतना अच्छी सुविधा होगी। हमने कोरोनाकाल में जैसे देखा हम उद्योग लगा रहे हैं तो हमें सब को लेकर चलना चाहिए, मेरा भला हो और सबका भला हो।

5. श्री अविनाश सिंह राजपूत, हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग।

➢ इसमें हमें फाइनेन्स से संबंधी कोई जॉब मिलेगी तो पर्यावरण को लेकर कोई समस्या तो नही होगी ?

6. श्री दुर्गेश सिंह, हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग।

➢ उद्योग खुल रही है अच्छी बात है। इससे आसपास के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। आसपास के क्षेत्र का विकास होगा और पर्यावरण को भी ध्यान देना होगा।

7. श्री सर्वण कुमार सेन, सरदापारा केम्प 2, भिलाई, जिला–दुर्ग।

➢ फैक्ट्री खुलने से हम लोगों को रोजगार मिलता है, पर्यावरण का अच्छे से रख रखाव होना चाहिए।

8. श्री प्रदीप यादव, भिलाई उमदा, जिला–दुर्ग।

➢ कंपनी का मैं समर्थन करता हूं कि यहां के लोगों को रोजगार मिल रहा है। बताये गये व्यवस्था अनुसार पर्यावरण के लिये कार्य कर रहे हैं। पानी की व्यवस्था के लिये

कंपनी बात तो रख देती है लेकिन बाद में नियमानुसार पीने की पानी की व्यवस्था नही हो पाती है।

9. श्री उमाशंकर विश्वकर्मा, रीवा, मध्यप्रदेश

➢ काम ठीक चल रहा है।

10. श्री ओम प्रकाश कुशवाहा, खुर्सीपार, भिलाई, जिला–दुर्ग।

➢ हरिओम टीएमटी में काम करता हूं प्लांट खुलेगा तो हमको रोजगार मिलेगा।

11. श्री सांईराम, राजस्थान।

➢ मैं शिवम हाईटेक प्लांट का अभिवादन करता हूं इससे रोजगार मिलेगा।

12. श्री राजेश कुमार देवांगन, केम्प 2, भिलाई, जिला–दुर्ग।

➢ पर्यावरण के बारे में जो भी स्कोप बताया जा रहा है उसके बारे में जानना चाहता हूं यहां बडी बड़ी गाड़ियां जा रही है उसके लिये क्या उपाये किये जायेंगे।

13. श्री इंदमणी शुक्ला, हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग।

➢ कंपनी का समर्थन करता हूं। श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण का ध्यान दिया जाये।

14. श्री रंजन सिंन्हा, भिलाई, जिला–दुर्ग।

➢ कंपनी बढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा।

15. श्री रवि निषाद, सेक्टर–6 ए मार्केट, भिलाई, जिला–दुर्ग।

➢ पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है उसके लिये व्यवस्था ज्यादा जरूरी है। रोजगार मिलना चाहिए रोजी रोटी चलनी चाहिए।

16. श्रीमती जागेश्वरी साहू, हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग।

➢ मैं उद्योग का समर्थन करती हूं। मुझे जानकारी मिली है कि उद्योग क्षमता विस्तार कर रही है। यह अच्छी बात है पर मैं प्रबंधक से कहना चाहूंगी कि उद्योग से होने वाली प्रदूषण नियंत्रण के लिये विस्तार करे। तभी उद्योग बढ़ेगा और नगर के लोगों को रोजगार मिलेगा और विकास होगा।

17. श्री महेश राव, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, भिलाई, जिला–दुर्ग।

➢ यहां के यातायात में दुर्घटना में कमी हो और लोगों को रेाजगार मिले। यातायात के शासन को कठोर किया जाये।

18. श्री राजेन्द्र मातरे, बालाघाट मध्यप्रदेश।

➢ कंपनी खुल रहा है तो सभी चीज का विकास होगा।

19. श्री अमित कुमार शुक्ला, भिलाई, जिला–दुर्ग।

➢ कंपनी खुलने से रोजगार मिलेगा।

20. श्री ताराचंद डोंगरे, भिलाई, जिला–दुर्ग।

➢ कोई भी कंपनी खुलती है तो और भी लोगों को रोजगार मिलता है इसके लिये मैं समर्थन करता हूं।

21. श्री हरचरन सिंह वैशाली नगर, भिलाई, जिला–दुर्ग।

➢ हर्ष की बात है कि हमारे एरिया में शिवम हाईटेक का विस्तार हो रहा है। इसके फायदे के बारे में लोगों ने अभी बात की। पर्यावरण और ग्रीनरी को लेकर विचार व्यक्त किये। संचालक और मैनेजमेन्ट को मैं निवेदन करूंगा कि पर्यावरण के लिये सोचा जाये तथा प्रदूषण न हो। स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दिया जाये। मैं कंपनी का समर्थन करता हूं।

22. श्री आर शिवा राव, भिलाई, जिला–दुर्ग।

➢ कंपनी का समर्थन करता हूं।

उपरोक्त वक्तव्य के बाद अपर कलेक्टर, जिला–दुर्ग तथा क्षेत्रीय अधिकारी, भिलाई द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किन्तु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब क्षेत्रीय अधिकारी, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से प्रतिनिधि श्री केतन गुलाटी, संचालक एवं कंसलटेन्ट श्री विकास ठाकुर, वरदान इनवायरोटेक, एलएलपी, गुड़गांव द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाए गए मौखिक मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जो कि निम्नानुसार है :–

❖ वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिये बैग फिल्टर, वॉटर स्प्रिंकलिंग की व्यवस्था की जायेगी।
❖ सीजीडब्लूए से अनुमति लेकर भूजल का दोहन किया जायेगा।
❖ जल उपचार के लिये ईटीपी/एसटीपी लगाया जायेगा।
❖ शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जायेगी।
❖ रोजगार के लिये छ.ग. के शासन के नियम का पालन करेंगे। स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जायेगा।

- ❖ स्कूल में पेयजल आदि सुविधा दी जायेगी।
- ❖ हमारा परिसर छोटा है, परिवहन, यातायात का विशेष प्रभाव नही पड़ रहा है। पीयूसी वाहन चलाये जायेंगे। शासन के गाईडलाईन का पालन किया जायेगा।
- ❖ आसपास के क्षेत्र के विकास के लिये एमओईएफ, सीसी को कार्यायोजना दिया जायेगा और उसके तहत कार्य करेंगे।

लोक सुनवाई स्थल पर लिखित में 06 आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणीयां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना के संबंध में सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 22 व्यक्तियों द्वारा मौखिक आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां अभिव्यक्त की गई जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसमुदाय में से कुल 72 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

अपर कलेक्टर, जिला–दुर्ग द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जनसमुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए दोपहर 01:35 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

अपर कलेक्टर
जिला–दुर्ग